परिवाद दायर करने की प्रक्रिया

लोकायुक्त कार्यालय में प्राप्त परिवादों को बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा 29 सहपठित बिहार लोकायुक्त अन्वेषण नियमावली, 2013 के नियम 4–7 के अनुसार नहीं होने के कारण इनके त्वरित निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः परिवादों पर जांच/अनुसंधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई हेतु निम्नलिखित तरीके से परिवाद दायर करने हेतु यह आम सूचना प्रकाशित की जा रही हैः–

2– बिहार लोकायुक्त अन्वेषण नियमावली में, अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के अधीन प्रत्येक परिवाद यथासंभव, अनुसूची– क प्रति संलग्न में विहित प्रपत्र में 5 पांच प्रतियों में दिये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित विशिष्टियां शामिल होंगी–

i प्रत्येक परिवाद में शीर्षक रहेगा– बिहार लोकायुक्त के समक्ष

ii पूर्ण पता सहित परिवादकर्ता का/के नाम

iii जिसके विरूद्ध परिवाद किया जा रहा हो उस व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम एवं पूर्ण पता।

iv क्या परिवाद

क शिकायत के मामले में प्रश्नाधीन कार्रवाई की जानकारी की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के बाद दाखिल किया जा रहा है ?

ख आरोप के मामले में अन्तर्ग्रस्त कृत्य के होने के पांच वर्ष बाद किया जा रहा है ?

v परिवाद सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिये।

अथवा

परिवादी अगर निरक्षर हो तो उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिये/अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से प्रकट/लिखित होना चाहिये।

3 परिवाद पत्र के साथ शपथ पत्र समर्पित करना आवश्यक है।

शपथ पत्र क सुस्पष्ट, सुवाच्च एवं यथासंभव शपथ पत्र लेने वाले की बोधगम्य भाषा में लेखबद्ध होना चाहिये।

ख यह प्रथम पुरूष में लिखा होना चाहिये।

ग शपथ पत्र परिच्छेदों में विभाजित रहना चाहिये जो क्रमिक रूप से संख्यांकित रहेगा।

घ प्रत्येक परिच्छेद में यथासंभव सुस्पष्ट विषय या उसका अंश दिया रहेगा।

ड़ शपथ किसी न्यायिक दण्डाधिकारी या कार्यपालक दण्डाधिकारी या लोकायुक्त कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लिया जायेगा।

च शपथ पत्र में व्यक्ति का पूरा नाम, यथास्थिति पिता या पति का नाम, कुल नाम सरनेम उम्र, वृत्ति या व्यवसाय एवं निवास स्थान तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख होगा, जिससे शपथकर्ता के पहचानने या पता लगाने में आसानी हो।

छ शपथ पत्र पर परिवादी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होगा, जो किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अपने पिता/पति का नाम और पूरा पता प्रकट करते हुए सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित होगा।

ज प्रत्येक परिवाद एवं शपथ पत्र फुलस्केप आकार के कागज पर प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये के रूप में एक चौथाई भाग छोड़कर केवल एक ही पृष्ठभाग पर साफ–साफ टंकित या लिखित होगा।

झ प्रत्येक शपथ पत्र का निष्कर्ष निम्नवत् होगा–

''मैं एतद् द्वारा ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि यही मेरा नाम और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान है तथा इस शपथ पत्र की विषय वस्तु सही है।

मैं आगे शपथ लेता हूँ कि परिच्छेद..... संख्या दें में जो बातें अधिकथित हैं, वे मेरी जानकारी में सही हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि वे सत्य हैं।''

4 लोकायुक्त के समक्ष परिवादी की अर्जी दाखिल करने के लिये न्यायिक स्टाम्प में रू0 100/– एक सौ रूपये की फीस देनी होगी।

5 **क** यदि परिवादी किसी दस्तावेज या दस्तावेजों पर निर्भर रहना चाहता हो तो उसे अपने परिवाद के साथ हस्ताक्षर करके या सम्यक रूप से अभिप्रमाणित अपने अंगूठे के निशान के अधीन उस दस्तावेज या उन दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि, जिस पर या जिन पर वह निर्भर करता हो, प्रस्तुत करना होगा।

ख दाखिल किये गये सभी दस्तावेजों के साथ अनुसूची ख प्रति संलग्न में यथा विहित प्रपत्र में एक सूची संलग्न की जानी चाहिये।

6 उपर्युक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप उपर्युक्त विशिष्टियों की पूर्ति के बिना दाखिल किये गये परिवाद का पंजीकरण तबतक नहीं किया जायेगा जबतक लोकायुक्त कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सूचित की गयी अवधि की भीतर उन कमियों को दूर नहीं किया जा सका है।

7 उपर्युक्त विशिष्टियों के अनुरूप सभी तरह से पूर्ण परिवाद पत्रों का पंजीकरण किया जाएगा एवं लोकायुक्त के पीठ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हेतु यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें परिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तथा मात्र उन मामलों की जाँच/अनुसंधान की जाएगी जो अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप हों।

ह0/–
सचिव
लोकायुक्त कार्यालय,
बिहार।

अनुसूची–'क'

देखें नियम–04

परिवाद–पत्र का प्रपत्र

बिहार के लोकायुक्त के समक्ष

परिवाद सं0..... वर्ष 20.....

क.ख. विवरण एवं पता दें – परिवादी

बनाम

ग.घ. विवरण एवं पता दें

– लोक सेवक, जिसके विरूद्ध परिवाद किया जाए।

इसमें परिवादी निम्नलिखित शिकायत करता है :–

यहाँ जिस कार्रवाई के विरूद्ध परिवाद किया गया हो उसका तथा परिवेदना ग्रीवान्स या अभिकथन का संक्षिप्त सारांश उल्लिखित करें।

लम्बे कथन बयान से बचा जाय।

यदि परिवादित आदेश यानी वह आदेश जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है की तारीख से बारह माह के बीतने के बाद ऐसा परिवाद किया जाए जिसमें परिवेदना ग्रीवान्स अंतर्ग्रस्त हो, तो वह तारीख दें जिस तारीख को परिवादित कार्रवाई की जानकारी परिवादी शिकायत करने वाले को हुई और साथ ही उन आधारों का विवरण भी दें जिसमें अधिनियम की धारा–29 5 क में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत परिवाद नहीं दायर करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाये गये हों।

परिवाद के प्रकथनों एवरमेंट्स के समर्थन में एक सम्यक रूप से ली गयी शपथ का पत्र इसके साथ दाखिल किया जाता है।

आज तारीख..... माह एवं वर्ष को

परिवादी का हस्ताक्षर
या अँगूठे का निशान

अनुसूची–'ख'

देखें नियम–07

बिहार के लोकायुक्त के समक्ष

परिवाद सं0..... वर्ष 20.....

पक्षकारों के नाम :–
परिवादी :–

1 .....
.....
.....

बनाम

वे वयक्ति जिनके विरूद्ध परिवाद किया गया है :–

1 .....
2 .....
3 .....

.....की ओर से फाइल की गयी दस्तावेजों की सूची :–

क्रम संख्या	दस्तावेजों की संख्या	दस्तावेजों का संक्षिप्त वर्णन	मूल/प्रमाणित प्रतिलिपि या सच्ची प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

दिनांक.....

दाखिल करने वाले पक्षकार का हस्ताक्षर

सत्यापित.....
पदाधिकारी का हस्ताक्षर